बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 12नि०/प०ग०(लो०सू०विविध) 03/2022 दिनांक– ...../2025

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)
पशुपालन निदेशालय।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।
परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।
सभी विशेष उप निदेशक पशु विकास, बिहार।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार
गोशाला विकास पदाधिकारी, पटना।
सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना।
परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैक, मुजफ्फरपुर/बांका/पूर्णियाँ।
बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना।
मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमरांव, (बक्सर)।
प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार सूचना आयोग का पत्र संख्या–62, दिनांक–11.04.2025 तथा 76 एवं 78 दिनांक–16.04.2025,**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विहित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 का वांछित प्रतिवेदन (सी०डी० सहित) संलग्न विहित प्रपत्र में तैयार कर 07 (सात) दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इस संदर्भ में अपने अधीनस्थों को भी निदेशित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)

ज्ञापांक– 12नि०/प०ग०(लो०सू०विविध) 03/2022 1817 (7) पटना–15 दिनांक– 14/05/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई०टी० मैनेजर को उक्त सभी को ई०मेल एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/5/25
संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)

दूरभाष संख्या: 0612.2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd

बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।

दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

संख्या 1/वि0–05/2025......35.....बि0सू0आ0 पटना, दिनांक 16/04/2025

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।

महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव–सभी विभाग।

महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।

सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वित्तीय वर्ष–2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:–आयोग कार्यालय के पत्रांक–1148, दिनांक–19.02.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में अनुरोध किया गया था कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से एवं सभी जिलों के अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय से वर्ष 2023–24 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए। अप्राप्त रहने की स्थिति में इस तथ्य को आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में समाहित करते हुए आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उक्त के उपरान्त अभी तक 36 (छतीस) विभाग से दोनों स्तर, 36 (छतीस) जिलों, 12 (बारह) विश्वविद्यालयों, 06 (छः) प्रमंडलो एवं 04 (चार) सक्षम प्राधिकार का प्रतिवेदन अप्राप्त है। जो अत्यंत खेदजनक है।

2. अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

Sandeep 16.04.25

(संदीप अग्निहोत्री)

विधि पदाधिकारी–सह–प्रभारी सचिव

23

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6Aलो०सू०(7)35 / 2025–2232 / पटना–15, दिनांक–07 / 05 2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन / मत्स्य / गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।

निदेशक पशुपालन कोषांग पत्र पंजी 4272 बिहार, पटना

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव

बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।

दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

संख्या वि0–04 / 2025.......76.....बि0सू0आ0 पटना, दिनांक 16/04/2025

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।

महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव–सभी विभाग।

महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वर्ष–2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:–आयोग कार्यालय के पत्रांक–1146, दिनांक–19.02.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में अनुरोध किया गया था कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से एवं सभी जिलों के अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय से वर्ष 2022–23 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए। अप्राप्त रहने की स्थिति में इस तथ्य को आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में समाहित करते हुए आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उक्त के उपरान्त अभी तक 34 (चौतीस) विभाग से दोनों स्तर, 35 (पैंतीस) जिलों, 11 (इग्यारह) विश्वविद्यालयों, 06 (छः) प्रमंडलो एवं 03 (तीन) सक्षम प्राधिकार का प्रतिवेदन अप्राप्त है। जो अत्यंत खेदजनक है।

2. अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

Sandeep

(संदीप अग्निहोत्री) 16.04.25

विधि पदाधिकारी–सह–प्रभारी सचिव

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6Aलो०सू०(7)35 / 2025–2033 / पटना–15, दिनांक–07 / 05 2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन / मत्स्य / गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।

7/5/25

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव

बिहार सूचना आयोग
सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।
दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

संख्या 1/ विवि–07/2025...62.......बि0सू0आ0 पटना, दिनांक...11/04/2025

मुख्य सचिव, बिहार।
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव–सभी विभाग।
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।
सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सके।

2. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से वित्तीय वर्ष 2024–25 (संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर) से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारों एवं उनके प्रधान पदाधिकारी का नाम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. इस क्रम में यह भी कहना है कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी अधीनस्थ लोक प्राधिकारों पंचायती राज संस्थानों सहित, के संबंध में तथा सभी प्रमंडलायुक्त द्वारा अपने प्रमंडलाधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदनों को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :– प्रपत्र–1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए), प्रपत्र–2 (प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के लिए)

Sandeep 11.04.25
(संदीप अग्निहोत्री)
विधि पदाधिकारी–सह–प्रभारी सचिव

77

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6Aलो०सू०(7)35 / 2025–2631 / पटना–15, दिनांक–07 / 05 2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन / मत्स्य / गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन कार्यालय पत्र पंजी 4271 बिहार, पटना

2. अनुरोध है कि वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कृपा की जाय।

7/5/25

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–1

संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में लो0सू0पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो0सू0पदा0 पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी										
3	निदेशालय										
4	निगम										
5	बोर्ड										
6	प्राधिकार										
7	निकाय										
8	अन्य										
9	कुल योग										

टिप्पणी:– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–2

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम अपीलीय पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणी:– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।